

पत्रावली में दि. 6-12-19 को कायम की गई
पर चला रही है। उक्त समय पत्र को
में कायम हेतु अनिष्ट अनवर दिया जा रहा
पत्रावली जारी कर दिया दि. 14-9-2020 को
पेश की।

14/9/2020

पत्रावली पेश हुई। वरर एबी.मि.ए.का. का
साथ कार्य स्वगत करने के कारण पत्रावली पूर्ण
दि. 9-9-2020 को पेश की।

15/09/2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष अधिवक्तागण उक्त
उक्त पक्ष की प्राप्ति अस्वादि विधेधाता पर बहस
सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्राप्ति
का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार आ.ब.नं.
944, 945, 1417, 1422, 1424, 1427, 1428 व 1429 किता
8 रकबा 2.52 है। बाकें ग्राम - कांचरोली तहसील - सिंगौर
के प्रार्थी 1/2 व अप्रार्थीगण 1/2 भाग के खाते पर
दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी अपने हिस्से को पृथक करवाना
चाहता है जिसका उसे कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1/2 भाग
को क्षाफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि संयुक्त
खातेवादी भूमि में प्रार्थी के 1/2 हिस्से तक की भूमि के कब्जे कार्य
में मजाहमत नहीं करे। पत्रावली कै. ल. श्रुमार छेकर नम्बर
से कम है।

निर्णय आज दिनांक 15-09-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इ. ल. श्रुमार
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, सिंगौर